

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

/पटना, दिनांक- 23.11.2019

पत्रांक-BRRDA(HQ)-PMGSY-1662/2019-5563

प्रेषक,

संजय दूबे, भा0प्र0र0
अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषय : प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-11 के अन्तर्गत बिहार राज्य के विभिन्न जिलों में संलग्न सूची के अनुसार पथ निर्माण की कुल 77 अदद योजनाओं के लिये स्तम्भ-6 में अंकित लंबाई (कि०मी०/मी०) एवं स्तम्भ-11 में निर्माण तथा अनुरक्षण सहित अंकित राशि के उन्नयन/ चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण एवं निर्माण कार्य हेतु अलग-अलग योजनाओं के लिये जिनकी सम्मिलित राशि रु० रु० 586.7410 करोड़ रुपये (पाँच अरब छियासी करोड़ चौहत्तर लाख दस हजार रुपये) मात्र है, पर योजनावार प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

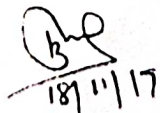
महाशय,

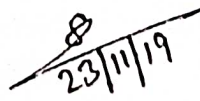
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य के 22 जिलों यथा अररिया, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, गया, जमुई, कैमूर(भभुआ), कटिहार, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, नालन्दा, नवादा, पूर्णिया, रोहतास, समस्तीपुर, सिवान एवं सुपौल जिलों में राज्य को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-11 के अन्तर्गत पथों के लिए समर्पित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों पर स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-P-17024/4/(3)/2018-RC दिनांक-11.11.2019 के द्वारा कुल 347 पथों जिनकी लम्बाई 2465.38 कि०मी० तथा प्राक्कलित राशि रु० 1381.77 करोड़ एवं 06 पुलों जिनकी लम्बाई 266.54 मी० तथा प्राक्कलित राशि रु० 14.06 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गयी है। कुल स्वीकृत राशि रु० 1395.83 करोड़ जिसमें राज्यांश की राशि रु० 558.36 करोड़ है।

इनमें से 05-15.00 करोड़ की योजनाओं पर स्तम्भ-11 में अंकित राशि के निर्माण हेतु अलग-अलग योजनाओं के लिये निर्माण तथा अनुरक्षण हेतु क्रमशः राशि रु० 543.4140 करोड़ रुपये तथा रु० 43.3270 करोड़ रुपये जिनकी कुल राशि रु० 586.7410 करोड़ रुपये (पाँच अरब छियासी करोड़ चौहत्तर लाख दस हजार रुपये) मात्र है। जिसके आलोक में




18/11/17


23/11/19

43	Nawada	Roh	BR25P2 R-13	L061-Roh Bhatta Siur Road to Kunj Kunaila	6.627	287.16	191.44	478.6	43.37	521.97
44	Nawada	Warsalliganj	BR25P2 R-15	MRL10- WARISALIGANJ TO BELDHA	10.963	447.22	298.15	745.37	67.64	813.01
45	Rohtas	Akhorh i Gola	BR28P2 R-01	MRL01-Akodhi Hagen PWD Road to Pakariya Via Chapara	10.5	402.86	268.57	671.43	47.92	719.35
46	Rohtas	Nokha	BR28P2 R-03	MRL01-Barao More to Bhawapokar via Lilari	14.25	434.97	289.98	724.95	58.16	783.11
47	Rohtas	Sanjhau li	BR28P2 R-04	MRL02-Amaithi to Motihari via Masauna (Buxar Canal Road)	13.85	513.04	342.02	855.06	63.83	918.89
48	Samastipur	Hasanpur	BR30P2 R-03	MRL02-Hasanpur Trisool chowk To NayaNagar	11.56	282.28	188.19	470.47	58.38	528.85
49	Samastipur	Kalyanpur	BR30P2 R-05	MRL01-Khajuri Chowk To Kharsand Bandh Via Sajanpur Islamia- Koyland Path	15.39	370.1	246.73	616.83	62.98	679.81
50	Siwan	Barharia	BR34P2 R-02	MRL03-baharia to Jomo	11.36	303.8	202.53	506.33	65.07	571.4
51	Siwan	Bhagwanpur Hat	BR34P2 R-03	MRL01-Bhagwanpur Hatt Basantpur Pakki Sadak	12.905	353.89	235.93	589.82	82.48	672.3
52	Supaul	Triveniganj	BR35P2 R-04	MRL01-Babhangama NH-106 To Pakri	9.13	283.54	189.03	472.57	53.04	525.61
TOTAL RRP-II AF					580.041	19691.14	13127.67	32818.81	2885.63	35704.44
RRP-II AF G& CR										
53	Araria	Bhargama	BR01P2 R-02	T01-GHURNA TO JAINAGAR VIA ACHARA	6.50	300.41	200.31	500.72	34.31	535.03
54	Araria	Forbisganj	BR01P2 R-03	T01-Manikpur to rahik pathara	9.10	425.21	283.52	708.73	41.74	750.47
55	Araria	Kursakanta	BR01P2 R-04	T01-SUNDARI TO BALCHANDA	9.00	428.26	285.55	713.81	41.84	755.65
56	Araria	Kursakanta	BR01P2 R-06	T03-TARABARI PWD ROAD TILANA CHOWK TO GHORA GLAT	13.00	630.3	420.3	1050.6	72.29	1122.89
57	Araria	Raniganj	BR01P2 R-10	T01-kamalpur dak bangla teo bousi	15.70	748.33	498.95	1247.28	78.52	1325.80
58	Araria	Raniganj	BR01P2 R-11	T08-RAHARIYA TO MADHEPURA BORDER	15.90	786.54	524.46	1311	86.85	1397.85
59	Araria	Sikti	BR01P2 R-15	T07-GUJJAN CHOWK TO SHAFFAN CHOWK VIA POTHIA	12.00	571.6	381.17	952.77	61.02	1013.79
60	Kishanganj	Bahadurganj	BR18P2 R-01	T01-PWD Path Bahadurganj Jurel Chowk Se Bhattabari Hote Huye	9.50	435.56	290.37	725.93	51.61	777.54
61	Kishanganj	Bahadurganj	BR18P2 R-02	T02-PWD Path Laucha se Bishanpur PWD Path Tak	7.10	327.84	218.61	546.45	36.40	582.85
62	Kishanganj	Bahadurganj	BR18P2 R-03	T03-NH - 327E Danul Chowk se Chandawar Hote Hue Karahalbari RWD	8.50	400.25	266.87	667.12	45.86	712.98
63	Kishanganj	Bahadurganj	BR18P2 R-04	T04-Kathamatha to Tappu Part-3 (VR8)	13.50	641.95	428.47	1070.42	73.47	1143.89
64	Kishanganj	Bahadurganj	BR18P2 R-06	T07-NH - 327E Nashanganj Chowk Se Bhoradah Bagicha Hote Hue	11.70	519.93	366.67	916.6	63.13	979.73

4. ग्रामीण कार्य विभाग के संबंधित कार्य प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंता इस योजना के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। कार्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-।। के मार्गदर्शिका के अनुसार e-tendering पद्धति से निविदा के माध्यम से कराया जायेगा।
5. योजना के कार्यान्वयन से पूर्व इस पर सक्षम पदाधिकारी से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।
6. यह एक केन्द्रीय योजना है जिसका कार्यान्वयन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-।। के दिशा-निर्देश के आलोक में किया जाना है। पुल निर्माण के लिये भारत सरकार से व्यय की जानी वाली राशि में से 60 प्रतिशत का वहन ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एवं 40 प्रतिशत बिहार सरकार द्वारा PMGSY के लिए निर्धारित Matching State Share के माध्यम से किया जाता है। राज्य सरकार के द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार दर पुनरीक्षण के कारण लगने वाली अधिकाई राशि का वहन भी विभाग के योजना बजटशीर्ष-4515 नई सड़कें एवं पुल मद में PMGSY (राज्यांश) मद में प्राप्त होने वाली राशि से किया जाएगा।
7. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3758/वि0, दिनांक-31.05.2017 के प्रावधानित बिन्दुओं तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में राशि व्यय किया जाना अपेक्षित है।
8. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
9. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में कार्यान्वयन अंतराल पर निर्धारित निरीक्षण कराया जाना अनिवार्य होगा। यह संबंधित कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा कि निरीक्षण विवरणी विहित प्रपत्र में निर्धारित चरणवार अभिलेखबद्ध किया जायेगा तथा विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
10. संबंधित कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग विहित प्रपत्रों एवं अन्तराल पर योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन निश्चित रूप से अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को उपलब्ध करायेंगे।
11. इस योजना पर निम्नांकित शर्तों के साथ सहमति दी जा सकती है। इन शर्तों का पत्राचार अंश पर रक्षित स्वीकृत्यादेश प्रारूप में समाहित करते हुए स्वीकृत्यादेश प्रारूप का अनुमोदित किया जाना अपेक्षित है :-
 (क) ब्राडा के लिए निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत राशि की निकासी की जाएगी।
 (ख) कार्यपालक अभियंता (PIU) का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यों का विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेंगे।
 (ग) वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3758 दिनांक-31.05.2017 में निहित निदेशों को अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।
 (घ) यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
 (ङ) प्राक्कलन के विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
 (च) योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण, सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अन्तराल पर अनिवार्य रूप से किया जायेगा एवं कार्यों को ससमय तथा गुणवत्ता पूर्वक सम्पन्न करारना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में सभी निरीक्षी प्राधिकार भी उत्तरदायी माने जाएंगे।
 (छ) संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं का वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक ऑनलाईन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।

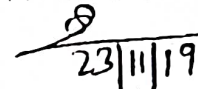
8/13/19

(ज) विभागीय संकल्प 4168 दिनांक-22.06.2009 की कंडिका 05 (e) यथा प्रावधान अतिरिक्त व्यय के राज्य योजना मद 4515 में विभाग को PMGSY योजनान्तर्गत स्वीकृत उद्व्यय एवं आवंटन से वहन किया जाना है। तदनुसार इस योजना में इस प्रावधान का दृढ़ता पूर्वक पालन किया जाना अपेक्षित है।

12. इस योजना के लिए समीक्षा प्राधिकार (स्थायी वित्त समिति) की स्वीकृति ग्रामीण कार्य विभाग के संचिका संख्या-BRRDA(HQ)-PMGSY-1662/2019 के पृ0-107-112/प0 पर दिनांक-15.11.2019 को तथा स्वीकृति प्राधिकार विभागीय माननीय मंत्री महोदय की स्वीकृति दिनांक-18.11.2019 को संचिका के पृ0-10/टि0 प्राप्त है।

13. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या-4-45/94-301वि (2), दिनांक-31.01.1995, वित्त विभाग के पत्रांक स्कीम (8)-11-2005-5090 वि (2), दिनांक-15.09.2005, वित्त विभाग के पत्रांक एम-4-53/2007-3758 वि०, दिनांक-31.05.2017, के प्रावधानों एवं वित्त नियामावली, खण्ड-1 के नियम 8 के दृष्टिपथ में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है तथा ग्रामीण कार्य विभाग के संकल्प संख्या-मु०अ०-4-PMGSY-5-17/09-4168, दिनांक-22.06.09 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-BRRDA(HQ)-PMGSY-1662/2019 पृ0-.....13../टि0 पर दिनांक-21.11.19..... को प्राप्त है।

विश्वासभाजन



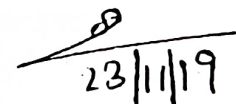
(संजय दूबे)

अपर सचिव

ज्ञापांक : BRRDA(HQ)-PMGSY-1662/2019 - 5563

/पटना, दिनांक- 23.11.2019

प्रतिलिपि : सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

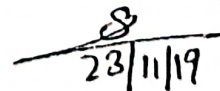


अपर सचिव

ज्ञापांक : BRRDA(HQ)-PMGSY-1662/2019 - 5563

/पटना, दिनांक- 23.11.2019

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय-व्यय शाखा)/ मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग/सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख, ग्रा० का० वि०, बिहार, पटना/ सभी मुख्य अभियंता, ग्रा० का० वि०/अभियंता प्रमुख के सचिव (प्रा०), ग्रा० का० वि०/सभी संबंधित अधीक्षण अभियंता, ग्रा० का० वि०, कार्य अंचल/सभी संबंधित कार्यपालक अभियंता, ग्रा० का० वि० कार्य प्रमंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



अपर सचिव



